



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट टैक्स संख्या - 6830 सन् 2025

एम/एस शिव ट्रेडर्सयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : पूजा तलवार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुश्री पूजा तलवार तथा राज्य प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री रवि शंकर पांडेय को सुना गया।
2. चूँकि पक्षकारों के बीच प्रति-हलफनामा तथा प्रत्युत्तर हलफनामा का आदान-प्रदान हो चुका है, अतः दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि वे कोई और हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते। इस प्रकार, पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का कहना है कि वह एक पंजीकृत व्यापारी है और उसका जीएसटीएन नंबर 09बीकेबीपीपी6273एनआईजेडएच है। याचिकाकर्ता ने मूंगफली का विक्रय एम्/एस दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी को ₹3,48,000/- में किया। इस पर 5% की दर से ₹17,400/- आईजीएसटी लगाया गया, जिससे कुल राशि ₹3,65,400/- हुई। उक्त माल को वाहन संख्या यूपी 32 एलएन 2687 में लोड कर उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा था। याचिकाकर्ता का कहना है कि माल तथा वाहन को प्रतिवादी संख्या 2 (सहायक आयुक्त, सेक्टर-1, मोबाइल स्कवाड, भोगनीपुर, रामाबाई नगर, राज्य कर, कानपुर नगर) द्वारा रोका गया। इस प्रक्रिया में प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 28.10.2024 को एम्ओवि-01 जारी किया, जिसमें उल्लेख है कि 27.10.2024 को प्रातः 3:16 बजे भोगनीपुर में माल को रोका गया। इसके बाद भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें पाया गया कि माल की मात्रा में कोई अंतर नहीं था। सभी माल बिल/इनवॉइस के अनुसार था। इसके बावजूद, बिना किसी कमी के, प्रतिवादी संख्या 2 ने यूपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129(1) के तहत अवैध रूप से माल निरोध का आदेश (एम्ओवि-6) पारित कर दिया। साथ ही 28.10.2024 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और धारा 129(3) के तहत दंड जमा करने पर माल छोड़ने का आदेश (एम्ओवि-09) पारित किया गया, जिससे याचिकाकर्ता पर भारी आर्थिक बोझ डाला गया। उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 (अपर आयुक्त, ग्रेड-II (अपील)-III, राज्य कर, कानपुर नगर) के समक्ष अपील दायर की। किन्तु, अपील को एकतरफा तरीके से दिनांक 10.09.2025 को खारिज कर दिया गया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 28.10.2024 को पारित आदेश (धारा 129(3), यूपीजीएसटी Act, 2017) तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 10.09.2025 को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।
5. इस न्यायालय ने दिनांक 04.10.2025 को निम्न आदेश पारित करते हुए रिट याचिका को स्वीकार किया:

“1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलीय प्राधिकरण के आदेश (पृष्ठ 30-31) से स्पष्ट होता है कि 02.01.2025, 01.05.2025, 10.07.2025, 02.08.2025, 14.08.2025, 22.08.2025 तथा 08.09.2025 को तिथियाँ निर्धारित की गई थीं, किन्तु याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। परंतु आदेश में यह नहीं बताया गया है कि नोटिस कब जारी हुआ और किस माध्यम से सेवा किया गया।

2. स्थायी अधिवक्ता श्री शशि कांत मिश्रा ने निर्देश प्राप्त करने एवं संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने हेतु समय माँगा।

3. प्रकरण को 18.12.2025 को पुनः प्रस्तुत किया जाए।”

1. उपर्युक्त आदेश के बाद, पक्षकारों के बीच प्रति-हलफनामा एवं प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किए जा चुके हैं।
7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि मूल प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी दोनों के आदेश एक क्षण के लिए भी टिकाऊ नहीं हैं। अपने तर्क को विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ तक प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित मूल आदेश का संबंध है, वह अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया है, विशेषकर तब जबकि याचिकाकर्ता द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया था और यह मामला यूपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129(3) के अंतर्गत नहीं आता था। आगे यह भी कहा गया कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.10.2024 के मूल आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी, किन्तु उसे एकतरफा रूप से खारिज कर दिया गया, बिना याचिकाकर्ता (जो अपीलकर्ता था) को सुनवाई की तिथि के संबंध में कोई नोटिस दिए। यह भी कहा गया कि अपीलीय आदेश में 02.01.2025, 01.05.2025, 10.07.2025, 02.08.2025, 14.08.2025, 22.08.2025 तथा 08.09.2025 की तिथियाँ सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थीं, लेकिन इन तिथियों की जानकारी के संबंध में याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया। यह भी तर्क दिया गया कि प्रति-हलफनामे में प्रतिवादियों ने यह कहा है कि तिथियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करके दी गई थी, जबकि याचिकाकर्ता ने इसे नकारते हुए कहा कि उसे इन तिथियों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसका मामला इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय (रिट टैक्स संख्या 2707 सन् 2025, एम्/एस बैम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) निर्णय दिनांक 19.12.2025 से पूर्णतः आच्छादित है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि: युपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129(3) के अंतर्गत की गई कार्यवाही पूरी तरह विधिसम्मत है आदेश कानून के दायरे में रहकर पारित किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा उल्लंघन किया गया था उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.10.2024 के मूल आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी, किन्तु उसे प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 10.09.2025 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पोर्टल के माध्यम से नोटिस दिए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने जानबूझकर अपीलीय कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

9. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

10. प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता का आरोप है कि दिनांक 28.10.2024 को मूल प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश एकतरफा है और साथ ही अपील भी बिना याचिकाकर्ता को यह बताए कि उसे किस तिथि को प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना है, खारिज कर दी गई।

11. प्रतिवादियों द्वारा दाखिल प्रति-हलफनामे (जो राज्य कर अधिकारी, मोबाइल स्क्वाड, भोगनीपुर, कानपुर नगर द्वारा शपथपूर्वक दिया गया है) का अवलोकन करने पर पता चलता है कि जिन तिथियों पर सुनवाई होनी थी, उनके संबंध में नोटिस जारी किए गए थे और उनका विवरण प्रति-हलफनामे के पैरा-5 में सारणी के रूप में दिया गया है। प्रतिवादियों का कहना है कि उक्त जानकारी पोर्टल पर अपलोड की गई थी। किन्तु याचिकाकर्ता ने इसे नकारते हुए कहा कि उसे कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के निर्णय एम्/एस बैम्बिनो एगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सहारा लिया, जिसमें कहा गया:

“104 (viii) यदि यह स्वीकार नहीं किया जाता कि याचिकाकर्ताओं को ई-मेल प्राप्त हुआ है, और यह तथ्य विवादित है, तो इस पर गहराई से जांच करना किसी न्यायालय या प्राधिकरण के लिए उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए कंप्यूटर संसाधनों की जटिल फॉरेंसिक जांच करनी पड़ेगी, जिससे समय और धन दोनों की अत्यधिक बर्बादी होगी। वर्तमान समय में यह अव्यावहारिक और अवांछनीय प्रक्रिया है। और जब पूरा आदेश ई-मेल के माध्यम से भेजा ही नहीं गया, तो उसे कानून की दृष्टि में “संचारित” नहीं माना जा सकता (धारा 107 के उद्देश्य से)।

12. इस चरण पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री रवि शंकर पांडेय ने सुझाव दिया कि विवाद को सुलझाने हेतु न्यायालय एक तिथि निर्धारित कर दे, जिस दिन याचिकाकर्ता उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सके।

13. इस सुझाव पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं की और सहमति प्रदान की।

14. अतः रिट याचिका का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है:

(क) दिनांक 10.09.2025 को प्रतिवादी संख्या 3 (अपर आयुक्त, ग्रेड-II (अपील)-III, राज्य कर, कानपुर नगर) द्वारा पारित अपीलीय आदेश निरस्त किया जाता है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ख) मामला पुनः संबंधित प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है ताकि वह कानून के अनुसार नया आदेश पारित करे।

15. इस उद्देश्य से, याचिकाकर्ता को 07.02.2026 तक प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष उपस्थित होना होगा।

16. उस तिथि पर याचिकाकर्ता को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे 16.02.2026 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में सुनवाई की तिथियाँ तय की जाएंगी और उसके बाद 6 सप्ताह के भीतर आदेश पारित किया जाएगा

17. चूँकि याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित है तथा राज्य को ओर से स्थायी अधिवक्ता उपस्थित हैं, इसलिए यह माना जाएगा कि दोनों पक्षों को आज पारित आदेश की पूर्ण जानकारी है।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं दिया है। अपीलीय प्राधिकारी स्वतंत्र रूप से कानून के अनुसार निर्णय करेगा।

19. आज पारित आदेश का लाभ तभी मिलेगा जब याचिकाकर्ता निर्धारित समय-सीमा का पालन करेगा और आदेश की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा

20. इस प्रकार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

जनवरी 27, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"